

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION
3, SUB-SECTION (ii), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION NO.-43 /2014-CUSTOMS (N.T.)

New Delhi, Dated the 23rd May, 2014
02 - Jyaishta , 1936(SAKA)

S.O. (E). -In the Ministry's Notification No. 12/139/59-Ad.III B dated 5.11.1962 as last amended vide Notification No.1/2013 -Customs (N.T.) issued vide F.No. 394/136/2013-Cus (AS) dated 14.01.2013, the following amendment is made:


1. The existing Schedule prescribed vide Notification dated 14.06.1982 is substituted by the following Schedule:

Schedule

Category of the Officer	Amount of monthly monetary allowance	
	For officer awarded Presidential Award of Appreciation Certificate for meritorious service at the risk of life	Additional allowance for Presidential Award of Appreciation Certificate awarded for a fresh act of meritorious service at the risk of life to an officer already in receipt of an allowance.
1	2	3
All officers of Customs/ Central Excise/ Narcotics Control Bureau and Directorate of Enforcement.	Rs. 3,000/- P.M.	Rs. 2,500/-P.M.

2. The allowance at revised rates shall be admissible to the officers and staff who were sanctioned the Presidential Award of Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service at the risk of life till date and to future recipients of the said award. The revised rates of the allowance shall be applicable from the date of issue of this notification.

F.No. 394/136/2011- Cus (AS) /Pt.



(Rishi Mohan Yadav)
Under Secretary to the Government of India
Tele/Fax:- 26177572.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.-43 /2014-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 2014
02 ज्येष्ठ, 1936(शक)

का. आ. (अ). -मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12/139/59-प्रशा. III ख दिनांक 5.11.1962 में, जिसमें पिछली बार अधिसूचना सं.1/2013 -सीमाशुल्क (गै.टै.) के तहत संशोधन किया गया था जिसे फा.सं. 394/136/2013- सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 14.01.2013 के तहत जारी किया गया था, निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:


1. दिनांक 14.06.1982 की अधिसूचना की मौजूदा अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाता है:

अनुसूची

अधिकारी की श्रेणी	मासिक वित्तीय भत्ते की धनराशि	
	जीवन के जोखिम पर असाधारण सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के प्रशस्ति प्रमाणपत्र पुरस्कार से सम्मानित अधिकारी के लिए	जीवन के जोखिम पर किसी नई सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के प्रशस्ति प्रमाणपत्र पुरस्कार से सम्मानित अधिकारी के लिए, जिसे पहले से ही कोई भत्ता मिल रहा है, अतिरिक्त भत्ता।
1	2	3
सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादशुल्क/स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारी	3,000/रू. - प्रतिमाह	2,500/रू. - प्रतिमाह

2. संशोधित दरों पर भत्ता उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें जीवन के जोखिम पर असाधारण सराहनीय सेवा के लिए आज की तारीख तक राष्ट्रपति का प्रशस्ति प्रमाणपत्र पुरस्कार स्वीकृत किया गया है या भविष्य में दिया जाएगा। भत्ते की संशोधित दरें इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होंगी।

फा. सं. 394/136/2011- सी.शु. (त.रो.) /खंड



(ऋषि मोहन यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन/फैक्स 26177572